न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री रामचरन शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–107/2022 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
GCMS NO :–2022/147
दायर दिनांक :–01.09.2022
निर्णय दिनांक :–22.09.2022

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री शंशिकान्त शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री मांगीलाल कुमावत पुत्र श्री अमृतलाल कुमावत उम्र 60 जाति कुमावत निवासी गारियों का देवरा, बडारडा, राजसमंद जिला राजसमंद (फर्म विक्रेता/मालिक) मैसर्स होटल अमृत ढाबा, एनएच 8 बडारडा, राजसमंद जिला राजसमंद

– विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) / 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम एवं विनियम 2011 के अन्तर्गत

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 व 10.08.2011 के अनुसरण में श्री शंशिकान्त शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर **सबस्टैण्डर्ड** खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि श्री मांगीलाल कुमावत पुत्र श्री अमृतलाल कुमावत उम्र 60 जाति कुमावत निवासी गारियों का देवरा, बडारडा, राजसमंद जिला राजसमंद (फर्म विक्रेता/मालिक) मैसर्स होटल अमृत ढाबा, एनएच 8 बडारडा, राजसमंद जिला राजसमंद जो की रेस्टोरेन्ट का व्यवसाय करते है। तथा इनकी दूकान मैसर्स होटल अमृत ढाबा, एनएच 8 बडारडा, राजसमंद जिला राजसमंद पर दिनांक 14.06.2022 को 03.00 पी.एम. पर वास्ते चेकिंग पहूंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया। वक्त निरीक्षण उक्त दुकान में **पनीर** एक डी फ्रिज में लगभग 02 किलोग्राम रखे हुए थे। एफ. एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर खाद्य पदार्थ पनीर मे से **1 किलोग्राम** पनीर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 300/– रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के –

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

P.T.O.

हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा पनीर की 04 पॉली पैक को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग–2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई –1617 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद ने पत्र कमांक : एफएसएसए/2022/2597 दिनांक 06.07.2022 के साथ खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./634/एक्ट/2022/634 दिनांक 28.06.2022 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार **AI 1617 खाद्य पदार्थ पनीर** का नमूना **सबस्टैण्डर्ड** होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 26.07.2022 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने से मना किया गया। विपक्षी द्वारा अपनी बहस–

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

P.T.O.

में अवगत कराया कि उसके द्वारा उक्त पनीर में किसी भी प्रकार की मिलावट नही कि जाती है। तथा भविष्य में ऐसी गलती नही दोहराई जावेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का **पनीर सबस्टैण्डर्ड** होना पाया गया। अतः अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx)) खाद्य पदार्थ **पनीर** का विक्रय कर करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुंरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे जुर्माने योग्य अपराध है।

अपराध कारित होने से विपक्षी श्री मांगीलाल कुमावत पुत्र श्री अमृतलाल कुमावत उम्र 60 जाति कुमावत निवासी गारियों का देवरा, बडारडा, राजसमंद जिला राजसमंद (फर्म विक्रेता/मालिक) मैसर्स होटल अमृत ढाबा, एनएच 8 बडारडा, राजसमंद जिला राजसमंद पर कुल राशि 4,000/– रूपये (अक्षरे रूपया चार हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर राजकोष में आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा0 फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रामचरन शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द